

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

क्र. 551 / 2025

अक्षय कुमार पुत्र बुधराम जाति वाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 13 गांव पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

गुलशन पुत्र बुधराम जाति वाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 13 गांव पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

-वादीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र मंगतराम जाति वाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 13 गांव पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान)
2. किरण पत्नी बुधराम जाति वाल्मिकी निवासी वार्ड नं. 13 गांव पीरकामड़िया तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. प्रिंसा पुत्री बुधराम पत्नी रवि कुमार जाति वाल्मिकी निवासी गांव मंगालिया तहसील राणिया जिला सिरसा (हरियाणा)


-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 27/2/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री गोविन्दा व प्रतिवादी वकील रविन्द्र शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चकनं 19 एन जी सी ए के खाता स 61/53 में प्रतिवादी स 1 बुधराम पुत्र मंगतराम के नाम से दर्ज 3/7 हिस्सा आराजी का वादीगण को ब 0हि 0ब 0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं 19 एन जी सी ए के खाता स 61/53 में प्रतिवादी स 1 बुधराम पुत्र मंगतराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै 0मु 0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/2/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण) एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।